न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**

राजस्व वादपत्र संख्या : **87/2019 (2707/2016)**

GCMS NO. : **2016/00001**

–:: वादीगण ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. झमकुदेवी पत्नि हजारीराम जाति– बावरी, निवासी– मोहराई, तहसील– जैतारण जिला– पाली, राज0।		1. तहसीलदार जैतारण तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0। 2. हडमान उर्फ रूघनाथ पुत्र आईदान जाति– बावरी निवासी–मोहराई तहसील– जैतारण, जिला–पाली।

प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी

तारीख रजू:. 23.09.2019

उपस्थितः–

1.श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी/वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 30/07/2021**

वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 02 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी का पेश किया कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र राजस्व मौजा निम्बेडा खुर्द पटवार हल्का टुकड़ा में प्रार्थी हडमान उर्फ रूघनाथ के नाम की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 335 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 338 रकबा 3–10 बीघा, कुल खसरा 02 कुल रकबा 6–10 बीघा के लिए पेश किया। उक्त आराजी हजारी जी ने जरिये ईकरानामा के खरीद की एवं मौके पर कब्जा प्राप्त कर अपने नाम से म्युटेशन में इन्द्राज करवाया। तत्पश्चात हजारीराम के फौत होने के बाद जरिये फौतेदगी म्युटेशन प्रार्थी जो कि हजारी जी का गोद पुत्र था, विरासत के रूप में प्रार्थी के नाम इन्द्राज हुई। तत्पश्चात उक्त आराजी में हड़मान का नाम गलत रूप से रुघनाथ दर्ज हो गया। तब शुद्धि पत्र से प्रार्थी हड़मान ने अपना नाम वापस उक्त आराजी में सही हड़मान दर्ज करवाया। हजारी जी के फौत होने के दिन से लेकर आज दिन तक उक्त आराजी पर एक मात्र कब्जा व काश्त प्रार्थी का ही चला आ रहा है । वादीया झमकू देवी जो कि हजारी जी की पत्नि थी, हजारी जी के फौत होते ही वह अन्यत्र नाते चली गई, इसलिए तत्कालीन आरआई व पटवारी ने वादीया के नाम म्युटेशन पारित नहीं किया था एवं हजारी के एक मात्र पुत्र हड़मान के नाम से म्युटेशन पारित किया था । परन्तु जमीनों की कीमते बढ जाने से वादीया के मन में लोभ व लालच आ गया, एवं नाते जाने के बावजूद भी अपने पूर्व पति के जमीन से उसकी लालसा समाप्त नही हुई एवं उसने वादपत्र श्रीमान के न्यायालय में पेश किया जिसमें प्रार्थी को बतौर प्रतिवादीगण संख्या 02 के पक्षकार बनाया, लेकिन उसकी वल्दियत उसके प्राकृतिक [illegible] नोटिस जाने के बावजूद भी सही रूप से तामिल नहीं हो सकी, क्योंकि हड[illegible] हजारी जी का गोद पुत्र है एवं वर्षो से हजारी जी के पुत्र के [illegible] जाना [illegible] है। जब हडमान बाल्यवस्था में था तब भी हजारी ने उसको अपने [illegible] ले लिया एवं उस[illegible] से हडमान हजारी का गोद पुत्र के रूप में जाना व पहचाना जाने लगा था। हजारी जी के फौत

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

होने के बाद उनके बारवें की रशम, गंगाप्रसादी, पिण्डदान आदि भी हड़मान ने ही सम्पादित किये थे। इस प्रकार से हड़मान की उक्त वादपत्र में वल्दियत आईदान लिखने से हड़मान को यह नोटिस प्राप्त नही हुये थे, क्योंकि हडमान तो हजारी जी का पुत्र है। इस वजह से उक्त वादपत्र में प्रतिवादीगण संख्या 02 हडमान की तामिल मानकर के उसके विरुद्ध बाले बाले एक तरफा कार्यवाही कर वादीया के पक्ष में वादपत्र डिक्री कर दिया। जबकि वादीया का हजारी जी की जायदाद में कोई हक व अधिकार नहीं है यदि वादीया का इस आराजी में कोई हक व अधिकार होता तो प्रार्थी हडमान के नाम उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में वर्ष 1990 में अमल दरामद हुई तो फिर 26 वर्षो तक वादीया ने कोई क्लेम इस आराजी के बाबत नहीं किया है। वास्तव में सत्यता यह है कि वादीया हजारी जी के फौत होते ही नाते चली गई थी। एवं वह यहां पर कभी भी नहीं रही है। यह है कि उक्त आराजी में एक मात्र मालिकाना हक व अधिकार प्रार्थी हड़मान का ही है। जिसका हजारी जी के फौत होने के बाद से आज दिन तक उसका ही नाम इन्द्राज है। अन्य सरकारी दस्तावेजात में भी हडमान पुत्र हजारी का इन्द्राज चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में नाम गलत इन्द्राज होने पर हड़मान ने अपना नाम जरिये शुद्धि पत्र के दुरुस्त करावाया था। तो इन तमाम दस्तावेजात से यह साबित है कि – इस आराजी का एक मात्र मालिकाना हक व अधिकार प्रार्थी का ही है। परन्तु वादीया ने बाले बाले वाद प्रस्तुत कर दिया जिसमें प्रार्थी हड़मान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करवाकर के अपने नाम से डिक्री पारित करवाली है। इसलिए उक्त डिक्री को अपास्त कर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायिहत में आवश्यक है। वर्तमान में बारिश होने से जब प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने गया तो वादीया झमकूदेवी ने रोकटोक की व कहा कि इस आराजी का फैसला मेरे पक्ष में हो गया है इसलिए अब तुम्हें इस भूमि पर कोई काश्त नहीं करने दूंगी। तब प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की व न्यायालय हाजा से निर्णय व डिक्री की प्रतियां प्राप्त की जिस पर प्रार्थी को सम्पूर्ण जानकारी होने से यह प्रार्थना पत्र निर्णय व डिक्री को अपास्त करने का बहक प्रार्थी विरुद्ध वादीया झमकूदेवी के सादर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही कर वादीया के पक्ष में किये गये निर्णय व डिक्री को अपास्त कर पुनः इस प्रकरण को नये सिरे से दर्ज कर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर न्यायहित में प्रदान करावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीया/वादीया को जरीये अखबार साया न्यायालय हाजा में उपस्थिति हेतु सूचित करने के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी का अध्ययन किया, विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता व परिसीमा अधिनियम 1963 के संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया।

1. प्रकरण में सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने से संबंधित म्याद के बिन्दू को निर्णीत करना आवश्यक समझते है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 12/07/2016 को हस्तगत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. दिनांक 14/3/2015 को किये गये निर्णय व डिक्री को अपास्त करने हेतु पेश किया गया। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र डिक्री व निर्णय की दिनांक से लगभग 1 वर्ष 4 माह बाद प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

2. परिसीमा अधिनियम, 1963 के 'तीसरा खण्ड–आवेदन' के भाग 1–विनिर्दिष्ट मामलों में आवेदन के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित डिक्री को अपास्त कराने के लिए या एक पक्षीय डिक्री या सुनी गई अपील की फिर से सुनवाई के लिए डिक्री की तारीख या जहाँ कि समन या सूचना की सम्यक् रूप से तामील नहीं हुई थी, वहाँ जब डिक्री का ज्ञान आवेदक को हुआ से तीस दिन निर्धारित है।
3. हस्तगत प्रकरण में अव्वल तो प्रार्थी को किस दिनांक को प्रश्नगत निर्णय या डिक्री का ज्ञान हुआ का कोई उल्लेख नहीं किया गया। केवल यह कथन किये है कि वर्तमान में बारिश होने से जब खातेदारी भूमि पर काश्त करने गया तो वादिया झमकूदेवी द्वारा रोकटोक करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। प्रार्थी द्वारा उल्लेखित उक्त कथन विश्वसनीय कारण नहीं माना जा सकता। दोयम, प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थना–पत्र पेश करने में हुई देरी को माफ करने हेतु कोई प्रार्थना–पत्र भी न्यायालय हाजा में पेश नहीं किया व न ही परिसीमा संबंधी कोई कथन ही किये है। अतः प्रार्थना–पत्र परिसीमा व देरी की वजह के बारे में मौन है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रक्रीया संहिता परिसीमा अधिनियम, 1963 में उल्लिखित एक पक्षीय पारित डिक्री को अपास्त कराने के लिए निर्धारित परिसीमा अवधि से बाधित होने के कारण प्रार्थना–पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना विधि–संगत एवं उचित होगा।

–:: *आदेश* ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुसूची के 'तीसरा खण्ड–आवेदन' के भाग 1–विनिर्दिष्ट मामलों में आवेदन में उल्लिखित एक पक्षीय पारित डिक्री को अपास्त कराने के लिए निर्धारित परिसीमा अवधि से बाधित होने के कारण प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश–9, नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता खारिज/अस्वीकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक **30/07/2021** को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:13 IST
Reason: SelfAttested